वर्ड स्मिथ

Good शब्द की उत्पत्ति

'Good' शब्द की कहानी भाषा के विकास के साथ जुड़ी एक रोचक यात्रा है। आज हम जिस 'good' का इस्तेमाल 'अच्छा' या 'उत्तम' के अर्थ में करते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यह शब्द सबसे पहले प्राचीन अंग्रेजी (Old English) में 'god' के रूप में प्रचलित था। उस समय इसका अर्थ सिर्फ 'अच्छा' नहीं, बल्कि 'सही, नैतिक और उपयुक्त' भी होता था।

'god' शब्द जर्मनिक भाषा परिवार से आया है, जिसमें जर्मन, डच और स्कैंडिनेवियाई भाषाएं शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जर्मन भाषा में आज भी 'gut' शब्द इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ भी 'अच्छा' ही है। इससे पता चलता है कि 'good' का मूल अर्थ और भाव सदियों से लगभग एक जैसा ही बना हुआ है। समय के साथ जब अंग्रेजी भाषा में बदलाव आए खासकर मिडिल इंग्लिश (Middle English) के दौर में तो 'god' की स्पेलिंग बदलकर 'good' हो गई। इस दौरान उच्चारण में भी थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन अर्थ वही रहा। 'Good' शब्द का उपयोग धीरे-धीरे और व्यापक हो गया। यह सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति की गुणवत्ता बताने के लिए ही नहीं, बल्कि भावनाओं, व्यवहार और नैतिकता को व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। जैसे 'good person', 'good work' या 'feel good'। इस तरह 'good' शब्द केवल एक साधारण विशेषण नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के विकास की एक जीवंत मिसाल है, जो हमें यह दिखाता है कि शब्द समय के साथ बदलते हुए भी अपने मूल भाव को बनाए रखते हैं।

नोटिस बोर्ड

परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2026 सत्रांत परीक्षा के लिए अहम तिथियां घोषित की हैं। क्षेत्रीय समन्वयक के अनुसार, सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को असाइनमेंट 2 मई तक अध्ययन केंद्रों पर जमा करने होंगे। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 5 अप्रैल से जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है। अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित छात्र भी इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद फॉर्म भरने पर 1200 रुपये विलंब शुल्क लगेगा, जबकि परीक्षा शुल्क 150 रुपये प्रति प्रश्नपत्र तय किया गया है।

रोजगार मेला का आयोजन

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से 5 मई को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 11 बजे शुरू होगा। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज मोटर्स समेत 10-12 कंपनियां शामिल होंगी। करीब 700-800 पदों पर भर्ती की संभावना है। हाईस्कूल से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक योग्य अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित समय पर उपस्थित हों।

क्रिएटिव युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य
फैशन स्टाइलिंग

आज के दौर में फैशन केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ती हुई क्रिएटिव इंडस्ट्री बन चुका है, जहां स्टाइल, पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन का खास महत्व है। सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव ने फैशन स्टाइलिंग को एक ग्लैमरस और डिमांडिंग करियर बना दिया है। आपको नए-नए लुक्स एक्सपेरिमेंट करना, ट्रेंड्स को समझना और लोगों की पर्सनालिटी को बेहतर बनाना पसंद है, तो फैशन स्टाइलिंग कोर्स आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है।

प्रियंका शुक्ला
फैशन एक्सपर्ट

क्या है फैशन स्टाइलिंग

फैशन स्टाइलिंग एक ऐसी कला है, जिसमें किसी व्यक्ति, मॉडल, सेलिब्रिटी या ब्रांड के लिए परफेक्ट लुक तैयार किया जाता है। इसमें कपड़ों के साथ-साथ एक्सेसरीज, फुटवियर, हेयरस्टाइल और मेकअप का सही संयोजन शामिल होता है। एक स्टाइलिस्ट को यह समझना होता है कि किसी खास मौके, थीम या इवेंट के अनुसार कौन-सा लुक सबसे बेहतर रहेगा। आज के समय में फैशन स्टाइलिंग का उपयोग फिल्मों, टीवी शो, वेब सीरीज, फोटोशूट, फैशन शो और सोशल मीडिया कंटेंट में बड़े स्तर पर किया जाता है। यही कारण है कि इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है।

क्या-क्या सिखाया जाता है कोर्स में

फैशन स्टाइलिंग कोर्स सिर्फ कपड़े चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को निखारने पर आधारित होता है। इस कोर्स में आपको कई महत्वपूर्ण स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे-

- लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स और फोरकास्टिंग की समझ
- कलर थ्योरी और सही कलर कॉम्बिनेशन
- बॉडी टाइप और स्किन टोन के अनुसार स्टाइलिंग
- फोटोशूट, एड शूट और रैंप के लिए स्टाइलिंग टेक्निक्स
- एक्सेसरीज और लेयरिंग का सही उपयोग
- बेसिक मेकअप और हेयर स्टाइलिंग
- वार्डरोब मैनेजमेंट और ब्रांड स्टाइलिंग

इसके अलावा, कई इंस्टीट्यूट्स में इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाते हैं, जिससे छात्रों को रियल वर्ल्ड का अनुभव मिलता है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पर्ल एकेडमी और अन्य फैशन स्कूल्स इस कोर्स को प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं।

करियर ऑप्शन

फैशन स्टाइलिंग कोर्स करने के बाद आपके सामने करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं। आप अपनी रुचि और स्किल्स के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं-

- पर्सनल स्टाइलिस्ट (सेलिब्रिटी या क्लाइंट के लिए)
- फैशन कंसल्टेंट
- फोटोशूट या एड फिल्म स्टाइलिस्ट
- टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट
- ई-कॉमर्स या ब्रांड्स के लिए स्टाइलिंग एक्सपर्ट
- फैशन ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर
- आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी इस फील्ड में नए अवसर पैदा किए हैं, जहां आप अपनी पहचान खुद बना सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

सिर्फ कोर्स करना ही काफी नहीं होता, बल्कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कुछ जरूरी स्किल्स भी चाहिए-

- क्रिएटिविटी और यूनिक सोच
- ट्रेंड्स को समझने और अपनाने की क्षमता
- कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स
- टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट हैंडलिंग
- डिटेल्स पर ध्यान देने की आदत

सैलरी

फैशन स्टाइलिंग में शुरुआती सैलरी आमतौर पर 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। जैसे-जैसे आपका अनुभव और पोर्टफोलियो मजबूत होता जाता है, आपकी कमाई भी तेजी से बढ़ती है। कुछ अनुभवी स्टाइलिस्ट्स लाखों रुपये तक कमा लेते हैं। फ्रीलांसिंग इस फील्ड का सबसे आकर्षक हिस्सा है, जहां आप एक प्रोजेक्ट के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। खासकर जब आप बड़े ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं, तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है।

फैशन स्टाइलिंग एक ऐसा करियर है, जो न सिर्फ क्रिएटिव संतुष्टि देता है, बल्कि आपको ग्लैमर और पहचान भी दिलाता है। अगर आपके अंदर फैशन के प्रति जुनून, नई चीजें सीखने की इच्छा और लोगों को स्टाइलिश बनाने का टैलेंट है, तो यह फील्ड आपके लिए बेहतरीन अवसरों से भरा हुआ है।

किस्सा कैंपस का

कॉलेज ने दी मुझे मेरी आवाज

1990-91 का वह दौर बदलाव का समय था। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद जब मैंने कानपुर के प्रतिष्ठित पीपीएन महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, तो मन में उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी। अब तक की शिक्षा लड़कों के स्कूल में हुई थी, जहां एक अनुशासन की सीमा थी, लेकिन कॉलेज का पहला दिन एक पूरी तरह से अलग दुनिया का अहसास करा रहा था। जैसे ही मैंने कॉलेज के भारी गेट से अंदर कदम रखा, नजारा बिल्कुल नया था। पहली बार मैं एक ऐसी जगह था, जहां सह-शिक्षा (Co-education) थी। लड़कों और लड़कियों को एक साथ कैंपस में देखना और कॉलेज की वह बेफिक्र आज़ादी शुरुआत में थोड़ी अजीब लगी। ठीक 9:00 बजे मेरी पहली क्लास हिंदी की थी। वह 45 मिनट की क्लास आज भी याद है, जहां प्रोफेसर के शब्दों से ज्यादा मेरा ध्यान खिड़की के बाहर दिखते कॉलेज के विशाल मैदान और नई दुनिया पर था। माहौल का रंग और मन में उठती हलचल धीरे-धीरे मैं कॉलेज के माहौल में ढलने लगा।

अनूप अवस्थी
कानपुर

पढ़ाई के साथ-साथ फुर्सत के पलों में मेरा ठिकाना 'छात्र संघ भवन' बनने लगा। यहां बैठकर छात्रों की बातें सुनना और कैंपस की राजनीति को समझना मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो गया, लेकिन इसी बीच मैंने कुछ ऐसा महसूस किया, जो मुझे भीतर तक खटकने लगा। कॉलेज के शांत और शैक्षिक माहौल में कुछ बाहरी तत्व और अराजक लड़के अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे। कैंपस में उनकी मौजूदगी और व्यवहार साधारण छात्रों के लिए असुविधाजनक था। वहीं से मेरे भीतर एक बदलाव आया। मैंने तय किया कि मैं केवल एक छात्र बनकर नहीं रहूंगा, बल्कि इस संस्थान की गरिमा की रक्षा करूंगा। मैंने मन बना लिया- मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूंगा। कॉलेज परिसर से असामाजिक तत्वों को बाहर करना और बाहरी लड़कों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाना। जैसे-जैसे दिन बीते, मेरी इस मुहिम से अन्य छात्र भी जुड़ने लगे। दोस्तों का कारवां बढ़ता गया और मेरी पहचान एक जुझारू छात्र नेता के रूप में होने लगी।

मैंने छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए ताल ठोंकी। चुनाव प्रचार का वह शोर, पोस्टर और साथियों का जोश अद्भुत था। जब परिणाम आए, तो मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन उस हार में भी एक बड़ी जीत छिपी थी। मेरी मुहिम ने कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य एन. के. सक्सेना जी का ध्यान खींचा। सक्सेना जी ने मेरे विजन को समझा और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में मेरा भरपूर सहयोग किया। परिणाम यह हुआ कि वह असामाजिक तत्व धीरे-धीरे कैंपस से गायब होने लगे। पीपीएन कॉलेज में बिताए वे तीन वर्ष महज किताबी शिक्षा के नहीं थे। उन तीन सालों ने मुझे सिखाया कि स्कूल और कॉलेज में बहुत बड़ा अंतर है। स्कूल आपको नियम सिखाता है, लेकिन कॉलेज आपको उन नियमों को लागू करना और समाज की विसंगतियों से लड़ना सिखाता है। 90 के दशक की वह यादें आज भी जहन में ताजा हैं। वह हिंदी की क्लास, छात्र संघ की सीढ़ियां और वह संकल्प जिसने मुझे एक साधारण छात्र से एक जिम्मेदार नागरिक और जनसेवक की राह पर आगे बढ़ाया। पीपीएन कॉलेज ने मुझे मेरी आवाज दी।

करेंट अफेयर्स

- हाल ही में न्यायमूर्ति लीसा गिल ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने 25 अप्रैल को जस्टिस गिल को शपथ दिलाई। जस्टिस गिल ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की जगह ली है, जो 24 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए।
- हाल ही में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता नई दिल्ली के भारत मंडपम में हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री माननीय टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना, बाजार तक पहुंच में सुधार करना और दीर्घकालिक आर्थिक अवसर पैदा करना है।
- हाल ही में भारत ने एक बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि नीति आयोग ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के लिए एक नई दो-चरणों वाली रणनीति पेश की है। डीपीआई का यह नया चरण 2047 तक देश को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। इस रोडमैप का शीर्षक 'DPI@2047: The Roadmap to Prosperity' है, जो यह बताता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम अलग-अलग क्षेत्रों में समावेशी विकास, इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देंगे। इस विजन का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को $18,000 तक पहुंचाना भी है, जो बड़े पैमाने पर आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत देता है।
- हाल ही में भारत के क्रिकेट दिग्गज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच के दौरान हासिल की।

जॉब अलर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड

- पद का नाम-ग्रेड 'B' (DR) में अधिकारी (परिवीक्षा पर) – सामान्य / DEPR / DSIM कैडर
- सेवा-सामान्य कैडर / DEPR कैडर / DSIM कैडर
- कुल रिक्तियां-60 (PwBD पदों सहित)
- वेतनमान -शुरुआती मूल वेतन 78,450/- प्रति माह, 78450-4050(9)-114900-EB-4050(2)-123000-4650(4)-141600 (16 वर्ष) के वेतनमान में, सकल परिलब्धियां लगभग 1,54,936/- प्रति माह (HRA के बिना)
- वेबसाइट -www.rbi.org.in

LIC Housing Finance Limited

- पद का नाम-जूनियर असिस्टेंट
- कुल रिक्तियां-180 पद
- रोजगार का प्रकार-नियमित / स्थायी
- राष्ट्रीयता भारतीय
- आवेदन की अंतिम तिथि-30 अप्रैल 2026
- वेबसाइट-www.lichousing.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

- पद का नाम- अप्रेंटिस (अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत नियुक्ति) विभाग मानव संसाधन वर्टिकल, जनशक्ति नियोजन और भर्ती प्रभाग
- कुल पद-1865 (जिसमें 98 PWD शामिल हैं) वजीफा Rs. 15,000/- (ग्रामीण/अर्ध-शहरी) | Rs. 18,000/- (शहरी) | Rs. 20,000/- (मेट्रो) प्रति माह
- प्रशिक्षण की अवधि-अनुबंध की तारीख से एक वर्ष
- आवेदन का तरीका- केवल ऑनलाइन (BFSI SSC पोर्टल के माध्यम से)
- चयन का तरीका- ऑनलाइन परीक्षा (100 अंक, 60 मिनट) + स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा
- वेबसाइट- www.unionbankofindia.co.in

PGIMER चंडीगढ़

- पद-सीनियर रेजिडेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर/जूनियर डेमोंस्ट्रेटर
- कुल पद-134 पद (PGIMER में 119 + संगरूर में 15)
- आवेदन करने की अंतिम तारीख-11 मई 2026
- CBT की तारीख-22 मई 2026
- वेबसाइट-www.pgimer.edu.in

स्कूल की चौखट पर खड़ा बाजार, भीतर सिमटती शिक्षा

निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुपालन का सवाल अब महज पाठ्य सामग्री का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। जब एक ओर कानून स्पष्ट दिशा देता हो और दूसरी ओर संस्थान स्वार्थवश उससे भटकें, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि नैतिक विचलन का संकेत होता है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केंद्र, सीबीएसई और सभी राज्यों को जारी नोटिस ने इस विडंबना को उजागर किया है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है या उसे लागू करने की प्रतिबद्धता ही क्षीण हो गई है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि शिक्षा में समानता का मूल सिद्धांत निरंतर दबाव और उपेक्षा के बीच संघर्ष कर रहा है।

आर के जैन
प्रोफेसर

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 29 ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण एनसीईआरटी या संबंधित एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा। इसी सोच के तहत एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण का अधिकार सौंपा गया। इन संस्थाओं द्वारा तैयार पुस्तकें न केवल शैक्षणिक रूप से संतुलित और विश्वसनीय होती हैं, बल्कि आम परिवारों के लिए किफायती भी रहती हैं। इसके विपरीत, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें इस मूल उद्देश्य को कमजोर करती हैं। जब एक ही कक्षा की पुस्तकों पर हजारों रुपये खर्च होने लगें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा अब अधिकार से ज्यादा एक लाभकारी व्यापार में बदलती जा रही है।

निजी विद्यालयों में महंगी पुस्तकों को अनिवार्य बनाना कोई आकस्मिक भूल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित आर्थिक तंत्र की ओर संकेत करता है। कई स्थानों पर स्कूल और प्रकाशक मिलकर ऐसा गठजोड़ रचते हैं, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूट जाता है और मुनाफा केंद्र में आ जाता है। अभिभावकों को "उच्च गुणवत्ता" और "अधिक उपयोगी सामग्री" का हवाला देकर इन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इन दावों की ठोस पुष्टि प्रायः नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों की विवशता का व्यवस्थित दोहन होता है और वे विरोध करने में असहाय महसूस करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शिक्षा के नैतिक आधार को कमजोर करती है और संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

सबसे चिंताजनक परिणाम एक तेजी से गहराते शिक्षा-विभाजन के रूप में सामने आता है। जहां सरकारी विद्यालयों के बच्चे सस्ती, मानकीकृत और समान पुस्तकों से पढ़ते हैं, वहीं निजी स्कूलों के छात्र महंगी और अलग सामग्री पर निर्भर होते हैं, जिससे उनके ज्ञान का आधार ही भिन्न बन जाता है। यही अंतर आगे चलकर अवसरों की खाई को और चौड़ा कर देता है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार पहले से ही शिक्षा पर बढ़ते खर्चों का दबाव झेल रहे हैं, ऐसे में किताबों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उनके लिए बेहद असहनीय हो जाता है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को नहीं बढ़ाती, बल्कि समाज में गहराते असंतुलन और विभाजन को भी और मजबूत करती है।

इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल एक महत्वपूर्ण और समयोचित हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है, जिसने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। अनावश्यक तथा भारी-भरकम पुस्तकों का बढ़ता बोझ बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो राष्ट्रीय स्कूल बैग पॉलिसी-2020 की मूल भावना के विपरीत है। यदि राज्य सरकारें और संबंधित संस्थाएं अब भी इस मुद्दे पर उदासीन बनी रहती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों की स्पष्ट उपेक्षा मानी जाएगी। इसलिए इस विषय को अब सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ठोस और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

समान पाठ्य सामग्री सिर्फ शैक्षणिक जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का एक अहम स्तंभ है। अब सरकार और समाज दोनों के सामने यह स्पष्ट विकल्प है कि शिक्षा को बराबरी का सेतु बनाया जाए या उसे विभाजन की खाई में बदलने दिया जाए।